प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 18.05.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 18.05.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना सैफई

माा0न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त देवसिंह उर्फ देव पुत्र बन्नी सिंह नि0 स्टेट बैंक के सामने विहार कॉलोनी थाना करहल जनपद मैनपुरी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100000 रु0/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100000 रु0/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः- थाना सैफई क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त पैन्ट की दाहिनी जेब सेएक पैकेट पालिथीन में नशीला पाउडर (115 ग्राम अल्प्राजोलम) बरामद होने के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनाँक **28.03.2023** को **मु0अ0सं0 71/2023 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 सुमेश चन्द्र** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 गुलाब सिह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र सिह परिहार द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.05.2026 को अन्तर्गत धारा **21/22 एनडीपीएस एक्ट में मा0न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100000 रु0/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. देवसिंह उर्फ देव पुत्र बन्नी सिंह नि0 स्टेट बैंक के सामने विहार कॉलोनी थाना करहल जनपद मैनपुरी।